# जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा।

**महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अन्तर्गत संविदा आधारित पदों पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु**

**:– आम सूचना :–**

**विज्ञापन संख्या– 01/2018–19**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक–3198, दिनांक– 18.4.16 के द्वारा परिभाषित स्थानीयता नीति एवं अधिसूचना संख्या–5938, दिनांक–14.07.2016 द्वारा जिला स्तर पर वर्ग– 02 के रिक्त पदों पर झारखण्ड एवं वर्ग–03 के रिक्त पदों के लिए जिले के स्थानीय निवासियों की नियुक्ति से संबंधित प्राप्त निदेश के आलोक में तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक– 4729 दिनांक– 04.06.07, ज्ञापांक– 7646, दिनांक– 23.10.09, ज्ञापांक– 2226, दिनांक– 31.03.12 ज्ञापांक– 6440 दिनांक– 17.07.12 एवं ज्ञापांक– 6718 दिनांक– 28.07.12 के आलोक में सूचित किया जाता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्वीकृत पदों (प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक) के आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार आरक्षित/ अनारक्षित रिक्त पदों के लिए मेधा सूची तैयार करने हेतु Online आवेदन विभागीय पोर्टल http:/applyrdd.jharkhand.gov.in पर आमंत्रित किया जाता है। आवेदन दिनांक–12.07.18 से 28.07.18 तक के अपराह्न **05:00** बजे तक आमंत्रित किया जा जाता है। नियुक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट jamtara.nic.in एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

ह०/-

उपायुक्त,
जामताड़ा।

ज्ञापांक 647 /, दिनांक 9/7/18

प्रतिलिपिः– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि उक्त आम सूचना सभी दैनिक समाचार पत्रों के एक दिन के संस्करण में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

# जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा।

**महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अन्तर्गत संविदा आधारित पदों पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु**

## :– आम सूचना :–

**विज्ञापन संख्या– 01/2018–19**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक–3198, दिनांक– 18.4.16 के द्वारा परिभाषित स्थानीयता नीति एवं अधिसूचना संख्या–5938, दिनांक–14.07.2016 द्वारा जिला स्तर पर वर्ग– 02 के रिक्त पदों पर झारखण्ड एवं वर्ग–03 के रिक्त पदों के लिए जिले के स्थानीय निवासियों की नियुक्ति से संबंधित प्राप्त निदेश के आलोक में तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक–4729 दिनांक– 04.06.07, ज्ञापांक– 7646, दिनांक– 23.10.09, ज्ञापांक– 2226, दिनांक– 31.03.12 ज्ञापांक– 6440 दिनांक– 17.07.12 एवं ज्ञापांक– 6718 दिनांक– 28.07.12 के आलोक में सूचित किया जाता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्वीकृत पद के आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार आरक्षित/ अनारक्षित रिक्त पदों के विरूद्ध मेधा सूची तैयार करने हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

**निर्देश एवं शर्तें**

1. वर्ग–02, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी/ तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), वर्ग–03 तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक की सेवा बिल्कुल अस्थायी एवं संविदा आधारित है तथा इसके स्थायी होने की कोई संभावना/प्रावधान नहीं है। अतः सेवा के स्थायीकारण/ परिलब्धियों में वृद्धि इत्यादि अनावश्यक माँग पर सेवा समाप्त की जा सकती है।
2. अभ्यर्थियों के दावे के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र नियोजन के लिए अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा।
3. पदों में आरक्षण:– अनुसूची जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्सम प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।
4. **परिलब्धि :–** राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानेदय के अनुरूप।

| क्र0 | पदनाम | मासिक परिलब्धि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी | 19500 /- |
| 2 | तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) | 19234 /- |
| 3 | तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) | 17520 /- |
| 4 | लेखा सहायक | 10000 /- |
| 5 | कम्प्यूटर सहायक | 10000 /- |

5. **मेधा सूची :– जिला में तैयार मेधा सूची की अवधि 02 (दो) वर्षों की होगी।**
6. **शैक्षणिक योग्यता :– (प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए)**

**(i) अनिवार्य योग्यता–** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उतीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उतीर्ण जिनका प्राप्तांक 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उतीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।

**(ii) अतिरिक्त योग्यता–**

a. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/ पी0जी0डी0सी0ए0/ पी0जी0डी0बी0एम0/

पी0जी0डी0बी0एम0 / पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0एम0 / पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिया जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

b. एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0आर0डी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साईन्स या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्ताक को एम0सी0ए0 को कोटि में रखा जायेगा।

7. **<u>शैक्षणिक योग्यता :– तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष पद के लिए)</u>**

**(i) अनिवार्य योग्यता–** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक0 अनिवार्य योग्यता होगी।

**(ii) अतिरिक्त योग्यता–**

**a.** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईन्स अतिरिक्त योग्यता होगी।

**b.** एम0सी0ए0 / एस0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

8. **<u>शैक्षणिक योग्यता :– तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष पद के लिए)</u>**

**(i) अनिवार्य योग्यता–** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी।

**(ii) अतिरिक्त योग्यता–**

**a.** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0टेक0 / बी0ई0 / बी0सी0ए0 / बी0एस0सी कम्प्यूटर / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

**b.** बी0सी0ए0 तथा समान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

**c.** एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुसार उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोडें जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

9. **<u>शैक्षणिक योग्यता :– (लेखा सहायक पद के लिए)</u>**

**(i) अनिवार्य योग्यता–** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी0कॉम ऑनर्स या सामान्य बी0कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी0कॉम उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होने तत्पश्चात एम0कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे। परन्तु बी0कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक को 5 घटा कर उसे बी0कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

**(ii) अतिरिक्त योग्यता–**

**a.** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0कॉम, बी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।

**b.** एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी के

बी०सी०ए० के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

10. **शैक्षणिक योग्यता :– (कम्प्यूटर सहायक पद के लिए)**

**(i) अनिवार्य योग्यता–**

**a.** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे :–

(1) बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स

(2) बी०एस०सी० कम्प्यूटर सामान्य

(3) बी०सी०ए०

(4) सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० उत्तीर्ण।

**b.** बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० के प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होने तत्पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया हो के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

**(ii) अतिरिक्त योग्यता–**

**a.** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से एम०सी०ए०/ पी०जी०डी०सी०ए०/ एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईन्स अतिरिक्त योग्यता होगी।

**b.** एम०सी०ए०/ एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए०/ सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

11. **आयु सीमा – दिनांक– 01.01.2018** तक न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतमः (क) अनारक्षित :– 35 वर्ष (ख) पिछड़ा/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग :– 37 वर्ष (ग) महिला :– (अनारक्षित पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा) :– 38 वर्ष (घ) अनुसूचित जाति/ जनजाति (पुरूष एवं महिला) :– 40 वर्ष

12. Online आवेदन विभागीय पोर्टल http:/applyrdd.jharkhand.gov.in पर दिनांक– 12.07.18 से दिनांक– 28.07.18 तक के अपराह्न **05:00** बजे तक आमंत्रित किया जा जाता है।

Aranand 3/7/2018

उपायुक्त,

जामताड़ा।

3/7/18